न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1585–दो/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–8–2004 पारित व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 3 अ–68/ 2003–04 अपील

रामसहाय पुत्र रामलाल यादव
ग्राम बजरंगढ़ तहसील एंव
जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– रग्गूपुत्र धनुआ यादव
ग्राम बजरगढ़ तहसील छतरपुर
2– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक क–1 के विरूद्ध एकपक्षीय)
(अनावेदक क–2 के अभिभाषक श्री डी.के.शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 6–11 –2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 3 अ–68/ 2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–8–04 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बजरंगढ़ स्थित आराजी कमांक 85/1 रकबा 1.700 हैक्टर अभिलेख में शासकीय दर्ज है जिस पर रग्गू पुत्र धनुआ यादव का कब्जा पाये जाने पर नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 57/अ–68/95–96 पंजीबद्ध किया तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया, किन्तु राजस्व निरीक्षक के

प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूमि पर रग्गू यादव के बजाय मौके पर आवेदक का कब्जा पाये जाने से प्रकरण क्रमांक 57/अ-68/95-96 नस्तीबद्ध किया जाकर आवेदक के विरूद्ध अतिक्रमण प्रकरण दर्ज किया गया। नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण क्रमांक 57/अ-68/95-96 में पारित आदेश दिनांक 17-5-96 के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील क्रमांक 28/95-96 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 17-11-97 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 17-5-96 निरस्त किया गया तथा नायव तहसीलदार को स्वयं् स्थल निरीक्षण करने हेतु एंव दोनो पक्षों को सुने जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। नायव तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक से स्थल जांच कराकर उभय पक्ष को सुनने के वाद आदेश दिनांक 31-7-02 पारित किया तथा रामसहाय को उक्त भूमि का अतिक्रामक मानकर बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील क्रमांक 28/02-03 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 17-7-03 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त,सागर संभाग,सागर के समक्ष अपील क्रमांक 3 अ-68/ 2003-04 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 17-8-04 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण तहसीलदार को स्वंय् स्थल निरीक्षण कर सुनवाई का अवसर देकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-1 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद

है कि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील क्रमांक 28/95-96 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 17-11-97 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 17-5-96 निरस्त किया गया है तथा नायव तहसीलदार को स्वयं स्थल निरीक्षण करने एंव दोनो पक्षों को सुना जाकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया, किन्तु नायव तहसीलदार ने स्वयं स्थल निरीक्षण नहीं किया तथा आदेश दिनांक 31-7-02 पारित करके रामसहाय को उक्त भूमि का अतिक्रामक मानकर बेदखली के आदेश दिये। जब इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष पुनः अपील क्रमांक 28/02-03 प्रस्तुत हुई, उन्होंने प्रकरण पर सरसरी नजर डालकर आदेश दिनांक 17-7-03 से अपील निरस्त कर दी, जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्वदिश दिनांक 17-11-97 में नायव तहसीलदार को स्वयं स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिये थे और जब आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील क्रमांक 3 अ-68/ 2003-04 में यह तथ्य उजागर हुआ, उन्होंने आदेश दिनांक 17-8-04 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों से हुई चूक उजागर करते हुये प्रकरण पुनः तहसीलदार को स्थल निरीक्षण हेतु वापिस करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। फलतः आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 3 अ-68/ 2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-8-04 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर